

नम्बर
अहकाम
हुकम
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

जाकर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा (लाकडाउन)
23-6-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वार्ता/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् ~~कोर्टकीन~~
अधिकारी अग्रण पर है/अवकाश पर है/अन्य
कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21-7-2020
को पेश हो।

L 1
रीडर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा (लाकडाउन)
21-7-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वार्ता/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् ~~कोर्टकीन~~
अधिकारी अग्रण पर है/अवकाश पर है/अन्य
कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-8-2020
को पेश हो।

L 2
रीडर

25-8-2020 वकील प्रार्थी उपर। बचस को समय
चाहते हैं। अतः वास्ते बचस पत्रावली दि०
31-8-2020 को पेश हो।

5/

31-8-2020 वकील प्रार्थी उपर। बचस सुनी गई।
अध्या 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत निणय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली
में शामिल किया गया। पत्रावली कैसल नुमार
होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी



पत्र
-3-2020

न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर०ए०एस०, उप जिला
जज एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

क्यास नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

103/2019

5.9.2019

31.8.2020

बत्तीलाल पुत्र कोरया, मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी

—प्रार्थी

बनाम

लेम्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

अन्तर्गत —श्री तरुण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

लेम्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय
का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख०नं० 1053/606 रकबा
0.28 है, ख०नं० 504 रकबा 0.28 है, ख०नं० 508 रकबा 0.28 है, ख०नं०
146 रकबा 0.29 है, ग्राम नारायणपुर, ख०नं० 146 रकबा 0.14 है, ख०नं०
147 रकबा 0.16 है, ग्राम खोलाई, ख०नं० 400 रकबा 0.50 है, ख०नं०
400 रकबा 0.68 है, ग्राम बाढ टटवाडा में स्थित है। प्रार्थी का नाम बत्तीराम
पुत्र कोरया है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश प्रार्थी का नाम राजस्व
रिकार्ड में बत्तिलाल अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थी के सारे राजकीय अन्य
दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम बत्तीराम पुत्र कोरया अंकित है। यह सद्भाविक
सुझाव है एवं सुधार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि
उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम बत्तिलाल की जगह बत्तीराम संशोधित
किया जावे व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु अप्रार्थी को लिखा
जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी
बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी का नाम बत्तिलाल
पुत्र कोरया रिकार्ड में दर्ज है जबकि परिवार राशनकार्ड, पेनकार्ड, आधारकार्ड
इत्यादि में प्रार्थी का नाम बत्तीराम पुत्र कोरया है। ग्रामवासियों के अनुसार
बत्तिलाल पुत्र कोरया नाम का अन्य कोई व्यक्ति पंचायत में नहीं है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं० 2073 से 2076
ग्राम नारायणपुर खाता संख्या 103, नकल जमाबंदी सं० 2072 से 2075 ग्राम
खोलाई खाता संख्या 64, नकल जमाबंदी सं० 2071 से 2074 ग्राम बाढ
टटवाडा खाता संख्या 111, फोटोकॉपी आधारकार्ड, फोटोकॉपी पेनकार्ड,



फोटोकॉपी पत्र फाइनेन्सियल एडवाइजर रेल्वे कोटा, फोटोकॉपी पी0पी0ओ0, फोटोकॉपी प्रमाण पत्र हायर सैकेण्ड्री परीक्षा 1963, राजस्थान, फोटोकॉपी जाति प्रमाण पत्र, फोटोकॉपी पत्र दिनांक 25.5.2018 सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुर टटवाडा प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थीसुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी का सही नाम बत्तीराम पुत्र कोरया मीना है परन्तु वादग्रस्त मुद्दे में प्रार्थी का नाम बत्तिलाल पुत्र कोरया मीना दर्ज हो रहा है। इसकी दुरुस्ती फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ज्वलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम बत्तीराम पुत्र कोरया मीना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य अभिलेख फोटोकॉपी आधारकार्ड, फोटोकॉपी पेनकार्ड, फोटोकॉपी पत्र फाइनेन्सियल एडवाइजर रेल्वे कोटा, फोटोकॉपी पी0पी0ओ0, फोटोकॉपी प्रमाण पत्र हायर सैकेण्ड्री परीक्षा 1963, राजस्थान, फोटोकॉपी जाति प्रमाण पत्र, फोटोकॉपी पत्र दिनांक 25.5.2018 सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुर टटवाडा में प्रार्थी का नाम बत्तीराम पुत्र कोरया मीना है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में बत्तिलाल के स्थान पर बत्तीराम दुरुस्त किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम नारायणपुर की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 103, ग्राम खौलाई की जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 64 एवं ग्राम बाढटटवाडा की जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 111 में दर्ज प्रार्थी का नाम बत्तिलाल के स्थान पर बत्तीराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन खातों में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.8.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी